


१४-७-२२ पशावली पैश दुर्घी वादी एवं वकील वादी  
अनुपस्थित। वकील उातेवादी उपस्थित।  
बार-बार आवाज दिलवायी गयी। सायं  
५-५५ P.M. बज चुके थे। बार-बार आवाज  
दिलवाने के बावजूद वादी एवं वकील  
वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः  
वादी का वाद अदम दायरी। अदम पैरवी  
में खारेज किया जाता है।

पशावली फ़ैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

